न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 156 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. हेमनराम उर्फ हेमाराम पुत्र पुराराम 2. ढेलीदेवी पत्नी हेमाराम उर्फ हेमनराम जाति मेघवाल निवासी सरूपे का तला हाल बुरहान का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर		1. भानीदेवी पत्नी गेमराराम जाति मेघवाल निवासी पूंजासर तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर 2. श्रीमान तहसीलदार धनाऊ जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 34 / 2021 बअनवान भानीदेवी वगैरा बनाम ढेलीदेवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.06.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री सुरेश चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भजनलाल गोदारा रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—21.12.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1206 / 494 मौजा बुरहान का तला तहसील सेडवा हाल तहसील धनाऊ में अवस्थित है। जिनके मध्य विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1052 / 494 व 1053 / 494 प्रार्थीनी के खेत व सड़क के मध्य पड़ते है। प्रार्थीनी को अपने खेत से सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थीनी का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1052/494 व 1053/494 की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जाकर मनमर्जी के अनुसार पारित किया गया है, यदि अधीनस्थ न्यायालय वास्तव में विधिक निर्णय करने का इच्छुक था तो अधीनस्थ न्यायालय को खसरा नम्बर 1052/494 व 1053/494 में से आधी भूमि व शेष भूमि पड़ौसी में से रास्ता निकाला जाना था परन्तु हस्तगत प्रकरण में पड़ौसी खातेदारों को पक्षकारों तक नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के तहत 20 फीट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया गया जबकि अपीलांटगण की अल्प रकबे की भूमि में से इतना बड़ा रास्ता दिये जाने के कारण अपीलांटगण को भारी आर्थिक क्षति होगी तथा उसकी रकबे की भूमि बहुत अधिक रकबा रास्ते में चला जायेगा जिसके राज.काश्त. अधि. के अनुसार 12 फीट से अधिक चौड़ा रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर कभी भी रास्ता नहीं रहा तथा मौका रिपोर्ट के इंतजार में पत्रावली चल रही थी। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा मौका रिपोर्ट तहसीलदार स्वयं से तलब की लेकिन स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाये बिना अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मार्फत तैयार मौका फर्द को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उसे पटवारी हल्का व आर आई ने उतरदाता संख्या 01 से मिली भगत कर एकपक्षीय रूप से समस्त कार्यवाही कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

RRT 2011-12(Supp.) Page 698

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात विधि सम्मत पारित किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1206/494 मौजा बुरहान का तला तहसील सेडवा हाल तहसील धनाऊ में अवस्थित है। जिनके मध्य विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1052/494 व 1053/494 प्रार्थीनी के खेत व सड़क के मध्य पड़ते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अरसा 15 दिन पूर्व उतरदाता द्वारा अपीलांट के खेत में से जबरन रास्ता निकालने का प्रयास किया जाने लगा जिस पर अपीलांटस द्वारा मना किया तो उतरदाता द्वारा न्यायालय से फैसला होने का बताया जिस पर अपीलांटगण को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय से आलोच्य आदेश की नकले दिनांक 20.09.2022 को प्राप्त किया गया तो अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण की तरफ से नियुक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे, जिनको अपीलाधीन आदेश की भलीभांति जानकारी थी उसके बावजूद भी अपील मियाद बाहर पेश की गई विधि सम्मत नहीं है। अपीलांटगण द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है। मौका फर्द दिनांक 03.02.2022 में स्पष्ट आया है कि"प्रार्थी को खसरा नं. 1206/494 से सरकारी कटाण रास्ते तक पहुचने के लिए इसी ग्राम के खसरा नं. 1052/494 व 1053/494 में से होकर गुजरना पड़ता है, इसके सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं है। मौका फर्द तैयार करते वक्त अपीलांटगण मौके पर उपस्थित आये तथा हस्ताक्षर करने से इंकार किया।" रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

तिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 34/2021 बअनवान भानीदेवी वगैरा बनाम ढेलीदेवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.06.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर